उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या : 55 –काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/17–13 काविनी एवं वे0प्र0/09 दिनांक : 12 जनवरी, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों तथा उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के समस्त कार्मिकों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में उ0प्र0 शासन की ए0सी0पी0 योजना लागू किये जाने विषयक पूर्व निर्गत कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–835–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2011–13–काविनी एवं वे0प्र0/09 दिनांक 08.09.2011 को अवक्रमित करते हुए वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत ए0सी0पी0 लागू किये जाने विषयक संशोधित शासनादेश सं0–वे0आ0–2–773/दस– 62(एम)/2008 दिनांक 05.11.2014 एवं तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण विषयक अन्य शासनादेशों मे निहित सिद्धान्तों को अंगीकृत करते हुए एवं समयबद्ध वेतनमान की सुविधा 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष के अन्तराल पर अनुमन्य रखते हुए उ0प्र0 शासन की अनुरूपता में वित्तीय स्तरोन्नयन, तत्सम्बन्धी पे बैण्ड, ग्रेड पे तथा संगत वेतन निर्धारण पुनरीक्षित वेतन संरचना में संशोधित ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निम्नवत् प्रकिया लागू की जाती है :–

लागू होने का दिनांक

2. पुनरीक्षित वेतन संरचना में ए0सी0पी0 की उक्त संशोधित व्यवस्था दिनांक 19.02.2009 से प्रभावी होगी। दिनांक 18.02.2009 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में सभी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पदधारको हेतु समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी। परिणामस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू वेतनमानों में समयबद्ध वेतनमानों की दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक ही प्रभावी पूर्व व्यवस्था को अब दिनांक 18 फरवरी, 2009 तक लागू समझा जायेगा। निगमादेश सं0–175– काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09–17–काविनी एवं वे0प्र0/08 दिनांक 19 फरवरी, 2009 का प्रस्तर–13 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। निगमादेश सं0–783–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09–17–काविनी एवं वे0प्र0/08 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेशों को अतिक्रमित करते हुए विकल्प की व्यवस्था समाप्त की जा रही है।

ए0सी0पी0 की व्यवस्था

3. पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) लागू किये जाने के दिनांक 19.02.09 को यदि कोई पदधारक सीधी भर्ती/एक अथवा एक से अधिक पदोन्नति प्राप्त कर पद के साधारण वेतनमान में हैं और उसे उस पद पर समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ है तो उसे सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान में अनुमन्य हो रहे ग्रेड–वेतन से अगले ग्रेड–वेतन के रूप में कुल तीन वित्तीय स्तरोन्नयन

क्रमशः 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जायेंगे :—

(क) उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन उक्त पद पर 09 वर्ष की नियमित एवं निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर देय होगा।

(ख) उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन में अनुमन्य ग्रेड–वेतन में 05 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु यदि उक्त पदधारक की प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के पूर्व दिनांक 19.02.09 के पश्चात् होती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन प्रोन्नति की तिथि से 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय होगा, किन्तु यदि उसकी प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के पश्चात् होती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के दिनांक से 05 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पर देय होगा।

<u>उदाहरण– 1</u> किसी कार्मिक की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति 05 मार्च, 2002 को हुई। 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व एवं दिनांक 19.02.09 के उपरान्त उसकी प्रथम प्रोन्नति दिनांक 05 फरवरी 2010 को हो जाती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 05 फरवरी, 2010 से 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक 05 फरवरी 2015 को देय होगा।

<u>उदाहरण–2</u> किसी कार्मिक की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति 05 मार्च, 2002 को हुई। 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के दिनांक 05 मार्च, 2011 से प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात् उसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 02 जून, 2012 को हो जाती है, तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 05 मार्च, 2011 से 05 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक *05 मार्च, 2016 से देय होगा।*

(ग) उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन, द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 05 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा अथवा उक्त पद के सन्दर्भ में कुल 19 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध

4. (i) सन्तोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले सभी वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्थात अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना में उतनी अवधि बढ़ा दी जायेगी, जितनी अवधि पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की गणना में नहीं ली गई है।

(ii) किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गई सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

d:\pradeep karyalay grup 16.doc

ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त यदि उस पद (जिसके सन्दर्भ में उसे उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य हुआ है) का वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त कार्मिक का वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन भी तद्नुसार उच्चीकृत हो जायेगा।

__उदाहरण– 1__ दिनांक 01 जनवरी, 2006 से कारपोरेशन में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद का ग्रेड वेतन रू0 3000/– था। ए0सी0पी0 की व्यवस्था में 09 वर्ष की सेवा पर सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन रू0 4200/– देय था। किन्तु दिनांक 11.02.2010 से सहायक समीक्षा अधिकारी के पद का ग्रेड वेतन उच्चीकृत हो कर रू0 4200/– हो गया। सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के ऐसे पदधारक जिन्हें दिनांक 11.02.2010 से पूर्व प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप रू0 4200/– अनुमन्य हो चुका था उन्हें दिनांक 11.02.2010 से ग्रेड वेतन रू0 4800/– उच्चीकृत कर दिया जायेगा। इस उच्चीकरण के फलस्वरूप वेतन निर्धारण में केवल उच्चीकृत ग्रेड वेतन का लाभ देय होगा वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। क्योंकि वेतन वृद्धि का लाभ प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 4200/– अनुमन्य होने पर दिया जा चुका है।

परन्तु

(iii) किसी पद का ग्रेड वेतन निम्नीकृत (Down Grade) होने के फलस्वरूप यदि सम्बन्धित पद पर पूर्व से कार्यरत कार्मिकों को पद का पूर्व उच्च ग्रेड वेतन वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया गया हो तो उन्हें ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उक्तानुसार वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन का अगला ग्रेड वेतन वैयक्तिक रूप से देय होगा।

ऐसे पद पर पूर्व से कार्यरत कार्मिकों को यदि कोई वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य हो चुका है तो उसे प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन को निम्नीकृत नही किया जायेगा।

इसके उपरान्त अगला वित्तीय स्तरोन्नयन देय होने पर उसे प्राप्त हो रहे वैयक्तिक ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(iv) ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू हो जाने के पश्चात् सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त पदधारक की सीधी भर्ती के पद से प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा।

(v) पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति होने पर उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा।

__उदाहरण__ – कार्यालय सहायक श्रेणी–तीन के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 ग्रेड.वेतन रू0 2800/– में कार्यरत पदधारक की पदोन्नति कार्यालय सहायक–श्रेणी–दो के समान वेतन

d:\sapheap karyalay grup 16.doc

बैण्ड–1 रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2600/– के पद पर होने की स्थिति में उसे वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा।

परन्तु

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए0सी0पी0 की व्यवस्था से लाभान्वित समान पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त किसी कनिष्ठ कर्मचारी से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा। उपर्युक्तानुसार वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ कार्मिक के समान वेतन तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हों।

उदाहरण – वरिष्ठ कार्मिक कार्यालय सहायक श्रेणी–तीन के पद पर कार्यरत है और उसकी पदोन्नति कार्यालय सहायक श्रेणी–दो के समान वेतनमान/ग्रेड वेतन के पद पर हो जाती है किन्तु कनिष्ठ कार्मिक कार्यालय सहायक श्रेणी–तीन के पद पर ही कार्यरत है और उसे निर्धारित सेवा अवधि पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 से ग्रेड वेतन रू0 3000/– अनुमन्य हो जाता है परिणामस्वरूप उसका वेतन वरिष्ठ की तुलना में अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ के बराबर उस दिनांक से कर दिया जायेगा जिस दिनांक से उसका वेतन कनिष्ठ से कम हुआ हो।

(vi) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/अन्य सार्वजनिक उपकम एवं निगम में की गई पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये गणना में नहीं लिया जायेगा।

(vii) ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित सन्तोषजनक सेवा की गणना में परिवीक्षा अवधि/प्रशिक्षण अवधि, प्रतिनियुक्ति/ वाहय सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक की रोजगार अवकाश की अवधि में नियमानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता होने पर उसे देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक रूप से अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ रोजगार अवकाश से वापस आने की तिथि से इस प्रतिबन्ध के अधीन देय होगा कि अवकाश उपभोग करने वाले कार्मिक द्वारा इस आशय का अण्डरटेकिंग दे दिया गया हो कि उसे रोजगार से हुई वित्तीय आय रोजगार पर न जाने एवं सेवारत रहते प्राप्त होने वाली आय से कम रही है।

(viii) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप अनुमन्य मूल वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन तथा ग्रेड वेतन का योग) के आधार पर सेवानैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को अनुमन्य होंगें।

(ix) यदि किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता अन्तिम रूप से निर्णय होने तक स्थगित रहेगी। अन्तिम निर्णय के उपरान्त निर्दोष पाये जाने की दशा में अनुमन्यता के दिनांक से वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा। परन्तु दोषी पाये जाने की दशा में स्कीनिंग कमेटी

द्वारा कार्मिक को दिये गये दण्ड पर विचारोपरान्त देयता के सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी। स्कीनिंग कमेटी की संस्तुतियों पर नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(x) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है एवं इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं करेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

(xi) यदि कोई कार्मिक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस कार्मिक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा। तथापि ऐसे कार्मिक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(xii) ऐसे कार्मिक जो उच्च पदो पर कार्यरत् हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत् रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा। परन्तु सम्बन्धित कार्मिक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से उक्त उच्च पद पर ही अनुमन्य होगा।

(xiii) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत कार्मिकों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(xiv) पूर्व में लागू समयबद्ध वेतनमान की व्यवस्था तथा ए०सी०पी० की उपरोक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयबद्ध वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

(xv) किसी संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य ग्रेड वेतन कनिष्ठ कर्मचारी को ए0सी0पी0 की व्यवस्था में अनुमन्य ग्रेड वेतन से निम्न होने की स्थिति से उत्पन्न विसंगति का निराकरण किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को निम्नानुसार लाभ अनुमन्य कराया जायेगा :–

"संवर्ग में किसी कर्मचारी का पदोन्नति पर प्राप्त ग्रेड वेतन अथवा इसके उपरान्त ए0सी0पी0 की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन में प्राप्त ग्रेड वेतन किसी कनिष्ठ कार्मिक को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरोन्नयन में अनुमन्य ग्रेड वेतन से निम्न होने की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरोन्नयन कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा, जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिको की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हों तथा यह भी कि वरिष्ठ कार्मिक की यदि पदोन्नति न हुई होती तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से समान वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए अर्ह होता। उपर्युक्तानुसार कनिष्ठ के दिनांक से वरिष्ठ को वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किये जाने की स्थिति में यदि उसका वेतन कनिष्ठ से कम होता है तो उसे कनिष्ठ के बराबर किया जायेगा किन्तु यदि उसका वेतन कनिष्ठ से अधिक होता है तो उसे कम नहीं किया जायेगा।"

उदाहरण – वरिष्ठ कार्मिक (सहा0 लेखाकार) जो दिनांक 01.08.1999 को नियुक्त हुआ था, को समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2008 को प्रथम समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य होने के पश्चात् दिनांक 06.12.2008 को समयबद्ध वेतनमान के रूप में प्राप्त कर रहे समान वेतनमान के पद लेखाकार के पद पर प्रोन्नत हो गयी है, ऐसी दशा में वह दिनांक 19.02.2009 को लेखाकार के पद के साधारण वेतनमान में आ गया है जिस कारण सम्बन्धित कार्मिक को लेखाकार के पद से ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 06.12.2017 को रू0 4800/– ग्रेड वेतन के रूप में अनुमन्य होगा। कनिष्ठ (सहा0 लेखाकार) जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2000 को हुयी थी, की प्रोन्नति लेखाकार के पद पर दिनांक 19.02.2009 तक नहीं हुयी है अतएव उसे सहायक लेखाकार के सीधी भर्ती के पद से दिनांक 01.01.2009 को प्रथम समयबद्ध वेतनमान के रूप में ग्रेड वेतन रू0 4200/– तथा दिनांक 01.01.2014 को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य होगा। वरिष्ठ कार्मिक की यदि दिनांक 06.12.2008 को लेखाकार के पद पर प्रोन्नति न हुयी होती तो उसे भी कनिष्ठ की तिथि अथवा उसके पूर्व ही कनिष्ठ को अनुमन्य हुआ वेतनमान द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त हो जाता। ऐसे मामले में वरिष्ठ कार्मिक को भी कनिष्ठ की अनुमन्यता की तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में कनिष्ठ के समान ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य करा दिया जायेगा और भविष्य में तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन भी कनिष्ठ की भांति सेवा मानते हुये देय होगा।

२१. अप्रैल

ए0सी0पी0 की व्यवस्था में अगले ग्रेड वेतन का निर्धारण

5. निर्धारित सेवा अवधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाले ग्रेड वेतन कार्यालय ज्ञाप सं0 175–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09–17 काविनी एवं वे0प्र0/08 दिनांक 19.02.09 तथा तत्क्रम में जारी अन्य आदेशों में उल्लिखित दरों के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में सम्बन्धित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2006 से 18.02.2009 तक समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था को लागू किया जाना

6. समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 18.02.2009 तक यथावत् लागू है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 18.02.2009 तक लागू समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेगें :–

(i) 09 वर्ष , 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर कमशः प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुये निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भीर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम छः माह की अवधि के उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु,

ऐसे कार्मिक जिन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद दिनांक 18.02.09 तक लागू रही समयबद्ध वेतनमान की व्यवस्था में दिनांक 02 जनवरी से 30 जून की अवधि में उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हुआ है, का वेतन उनसे कनिष्ठ ऐसे कार्मिक जिन्हें समयबद्ध वेतनमान में उच्च वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 01 जुलाई से अगली 01 जनवरी तक प्राप्त हुआ है, की तुलना में कम होने पर वरिष्ठ कार्मिक का वेतन उस दिनांक से कनिष्ठ कार्मिक के समान निर्धारित कर दिया जायेगा, जिस दिनांक से कनिष्ठ का वेतन वरिष्ठ की तुलना में अधिक हुआ है।

(iii) समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत समयावधि के आधार पर उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की उसी वैयक्तिक वेतनमान में वास्तविक रूप से पदोन्नति/नियुक्ति प्राप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण 03 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुये किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(iv) कारपोरेशन के आदेश सं0 77–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2014–13 काविनी एवं वे0प्र0/09 (टीसी–2) दिनांक 19.02.14 में दी गयी व्यवस्था अनुसार दिनांक 01.01.06 से दिनांक 18.02.09 तक प्रभावी की गयी समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों को इस अवधि में पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य कराया जायेगा।

(v) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(vi) ऐसे मामालों में जहां किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयबद्ध वेतनमान की व्यवस्था के अधीन अनुमन्य हो चुके प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तदनुसार परिवर्तित हो जायेंगे। अर्थात उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रान्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन यथावत् बना रहेगा।

ऐसे पदधारक जिन्हे समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में लाभ मिल चुके है, को ए0सी0पी0 स्वीकृत किया जाना

7. ऐसे कार्मिक जो दिनांक 19.02.2009 को समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे है अथवा उक्त लाभ प्राप्त करने के उपरान्त उनकी वास्तविक पदोन्नति निम्न वेतनमान में होती है अथवा दिनांक 19.02.2009 के पश्चात् उसी वेतनमान/उच्च वेतनमान में होती है तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 19.02.2009 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार देय होगें :--

(i) जिन्हें 09 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान समयबद्ध वेतनमान के रूप में अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा सहित कुल 14 (चौदह) वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(ii) जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा सहित कुल 19 (उन्नीस) वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु,

दिनांक **19.02.2009** के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोंन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा और उसकी कुल सेवा अवधि को सम्बन्धित पद पर की गयी सेवा मानते हुए ए0सी0पी0 का लाभ देय होगा।

21-3 TEN L

d:\deepdeep kunjabiy group 16.doc

(iii) वरिष्ठ कार्मिक को समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वैयक्तिक पदोन्नति/अगला वेतनमान अनुमन्य होने और कनिष्ठ कार्मिक को ए0सी0पी0 के रूप में प्रथम/द्वितीय/तृतीय ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ के सापेक्ष कम होने से उत्पन्न विसंगति के निराकरण हेतु वरिष्ठ का वेतन भी कनिष्ठ के समान विसंगति के दिनांक से कर दिया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिक की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्ते समान हों।

(iv) यदि सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 19.02.2009 को धारित पद के सापेक्ष समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत है तो पूर्व के व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता हेतु जिन तदर्थ सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, ए0सी0पी0 की व्यवस्था के आगे वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा।

वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर वेतन निर्धारण

8– पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 की व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर सम्बनिधत कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 22–बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम–23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

प्रतिबन्ध यह होगा कि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के पश्चात् यदि सम्बन्धित कार्मिक की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और सम्बन्धित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा। किन्तु यदि ऐसी पदोन्नति में वेतन बैण्ड भी परिवर्तित होता है और उपर्युक्तानुसार वेतन निर्धारित किये जाने पर सम्बन्धित पदधारक का वेतन बैण्ड में उक्त वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित वेतन बैण्ड में वेतन से कम होता है तो उसे उक्त सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

परन्तु

यदि वरिष्ठ कार्मिक की प्रथम पदोन्नति दो वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम पदोन्नति के पद के वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन में होने एवं प्रथम पदोन्नति का ग्रेड वेतन उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन में प्राप्त ग्रेड वेतन के बराबर अथवा उच्च होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक प्रथम पदोन्नति के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में बना रहता है जबकि कनिष्ठ कार्मिक की प्रथम पदोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के उपरान्त या इसके पूर्व ही उच्च ग्रेड वेतन में होने के फलस्वरूप द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन में कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन प्राप्त हो जाने के कारण वरिष्ठ कार्मिक के निम्न ग्रेड वेतन में बने रहने एवं कनिष्ठ कार्मिक को उच्च ग्रेड वेतन प्राप्त हो जाने के कारण उत्पन्न वेतन असमानता का निराकरण–वरिष्ठ कार्मिक को द्वितीय अथवा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन को कनिष्ठ को मिल रहे द्वितीय/तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के समान स्तर पर कनिष्ठ की अनुमन्यता की तिथि से उच्चीकृत कर दिया जाये।

इस उच्चीकरण के फलस्वरूप वेतन निर्धारण में वेतन वृद्धि का लाभ देय नही होगा केवल उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। इस उच्चीकरण के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ का मूल वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम निर्धारित हो रहा है, तो उसे कनिष्ठ के समान कनिष्ठ की अनुमन्यता की तिथि से कर दिया जायेगा।

(i) यदि सम्बनिधत कार्मिक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को वेतन पुनर्निधारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतन वृद्धियां, एक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा दूसरी वेतन वृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतन वृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन रू0 100.00 था, तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना रू0 100.00 पर तथा द्वितीय वेतन वृद्धि की गणना रू0 103.00 पर की जायेगी।

(ii) यदि संबंधित कार्मिक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है, तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :–

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहाँ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहां भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहां वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्नुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

नोट – यदि संबंधित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी।

उदाहरण– किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जुलाई 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी।

उदाहरण–किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति की प्रकिया का निर्धारण

9. समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के स्थान पर ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सम्बन्धित कार्मिकों की पात्रता एवं उपयुक्तता पर्वूवर्ती परिषदादेश सं0 1598–पी/ राविप–तीस–4पी/1986 दिनांक 31.08.1989 एवं तत्कम में समय– समय पर जारी संगत आदेशों में निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार व्यवहृत होगी।

10. वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति दिये जाने हेतु पूर्व आदशों द्वारा गठित सक्षम समितियाँ यथावत् अधिकृत रहेंगी एवं प्रश्नगत समितियाँ सम्बन्धित प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में दो बैठकें आयोजित करेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।

11. उक्त समितियों द्वारा अपनी संस्तुतियां बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

12. ए0सी0पी0 व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति के लिए विभिन्न संवर्गो के नियुक्त प्राधिकारी ही सक्षम होंगे और उसकी सामान्य प्रकिया वहीं रहेगी, जो प्रोन्नति के अवसर पर अपनाई जाती है।

13. वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने संबंधी वेतन निर्धारण एवं बिलों का सत्यापन संबंधित उप महाप्रबन्धक (लेखा)/क्षेत्रीय उप मुख्य लेखाधिकारी से कराना आवश्यक होगा।

वेतन निर्धारण हेतु विकल्प की सुविधा

14. समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 18 फरवरी, 2009 तक समयबद्ध वेतनमान (वैयक्तिक वेतनमान) अनुमन्य होने के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा :–

ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में कारपोरेशन के आदेश सं0–835–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2011–13–काविनी एवं वे0प्र0/09 दिनांक 08.09.2011, का0ज्ञा0सं0–131–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि दिनांक 15.03.2013 तथा का0ज्ञा0सं0–279–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि दिनांक 31.03.2015 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा संशोधित विकल्प समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किये जाने विषयक विभागीय प्रशासनिक आदेश के जारी होने के दिनांक से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जिनमें समयबद्ध वेतनमान पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है उनमें भी संशोधित विकल्प इस आदेश के निर्गत होने के 90 दिन की अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

अध्यक्ष
निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं0– 55 –काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/17 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/ उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पाकालि/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
12. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
15. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
19. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 19.09.2016 को सम्पन्न 126(21) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
21. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

12.01.17

(शेष कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (काविनी)

d:\roopdeep karyalay gyap 16.doc